

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

प्रार्थी / वादी

आम जनता तकिया वगैरह


किस्म प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र

बनाम

अप्रार्थीगण / प्रतिवादी

जयनारायण वगैरह

मुकदमा नं. 1

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर अहका हुक्म क जा
07.04.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी गैर हाजिर। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण अधीन धारा 212 आरटीएक्ट 1955 के तहत दिनांक 12.05.2025 से तलबी हेतु न्यायालय में तलबी स्तर पर विचाराधीन है। वकील प्रार्थी के निवेदन पर वकील प्रार्थी को पूर्व में अनेक अवसर दिये गये थे परन्तु वकील प्रार्थी ने साबिका आदेश की पालना आदिनांक तक नहीं की है। ना ही आज वकील प्रार्थी उपस्थित न्यायालय हुये है।</p> <p>अतः प्रार्थी अधीन धारा 212 एक्ट 1955 बावजूद हिदायत प्रतिवादीगण की तामील किये जाने संबंधी पर भी न्यायालय आदेश की पालना नहीं की जाने पर आदेश-9 नियम-5 एवं बावजूद सूचना गैर हाजिर रहने पर अदम हाजरी व अदम तकमील में खारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;"> (दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)</p>	